न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

अपील संख्या 59/2017 दायरा दिनांक : 15.05.2017

उनवान

रामदयाल शर्मा पुत्र श्री नन्दलाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम जावर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– लाल चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री गजानन्द, जाति सुनार, निवासी ग्राम जावर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– रामबिलास पुत्र स्वर्गीय श्री गजानन्द, जाति सुनार, निवासी ग्राम जावर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– शांति बाई पत्नी स्वर्गीय श्री गजानन्द, जाति सुनार, निवासी ग्राम जावर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– रामदुलारी उर्फ शीला पुत्री स्वर्गीय श्री गजानन्द, जाति सुनार, निवासी ग्राम जावर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ हाल निवासी 206 कुशल नगर, सांगानेर, जयपुर

5– प्रेम नारायण उर्फ प्रेमचन्द पुत्र श्री हरकिशन, जाति सुनार, निवासी जावर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड हाल निवासी मनोहरथाना, जिला झालावाड

6– गोवर्धन सोनी पुत्र श्री हरकिशन, जाति सुनार, निवासी ग्राम जावर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(हस्ताक्षर)
डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
(हस्ताक्षर)
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

7— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8— उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हेमेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्र लाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.07.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या — 02/2017 निर्णय दिनांक 18.04.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जावर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड की नई खतौनी संख्या 520 पुराना 468 के खसरा नम्बर 395 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे एवं उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें और ना ही किसी अन्य से ऐसा करवावे तथा अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा किये गये उक्त आराजी के किसी भी हस्तान्तरण को उपपंजीयक अधिकारी तस्दीक नहीं करें, उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाकर न्यायालय से जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.03.2007 अपास्त किया जाकर आदेश प्रदान किये जाने का त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत तथ्य था कि वाद वर्णित कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2038–2041 में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 के पिता, पति कमश : गजानन्द तथा हरिकिशन वल्द रामचन्द्र निवासी जावर के खातेदारी में थी और दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से उक्त आराजी बांट बराबर कर रखी थी, हरिकिशन के खसरा नम्बर 395 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के बदले में प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 के पति व पिता को नाला वाली जमीन दे रखी थी, इस प्रकार खसरा नम्बर 395 सम्पूर्ण रकबे पर प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 5 व 6 के पिता अधिकारपूर्वक काबिज काश्त थे, तथा नाला वाली जमीन पर प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायज 4 के पिता गजानन्द बतौर मालिक खातेदार काबिज काश्तकार थे । इस प्रकार काश्त कर उपज प्राप्त करते थे एवं आपसी बंटवारे से प्राप्त खसरा नम्बर 395 को कय एवं विकय करने का अधिकार हरकिशन सुनार प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 के पिता को प्राप्त था । रेस्पोडेंट नम्बर 5 व 6 के पिता हरकिशन ने उसके हिस्से व कब्जे काश्त में प्राप्त आराजी खसरा नम्बर 395 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा आराजी वाके ग्राम जावर जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 07.04.1981 को अपीलांट को विकय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, बाद वक्त खरीद से ही अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । इस इंतकाल का राजस्व रेकार्ड में सम्वत 2034–2037 की जमाबंदी में अमल दरामद हो चुका है, लेकिन सहखातेदार गजानन्द का देहान्त हो जाने के कारण प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 के पक्ष में खोला गया । अपीलांट वक्त खरीद से

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

ही लगभग 35 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है और खातेदार टीनेन्ट घोषित होने की पात्रता रखता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी में हरकिशन के सहखातेदार गजानन्द का नाम लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व रेकार्ड में डिलीट नहीं हो सका, गजानन्द की मृत्यु के बाद गजानन्द के वारिसान रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायज 4 ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई निष्कर्ष अवधारित किये बिना सरसरी तौर पर पारित किया गया है जो अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत होने व नॉन स्पीकिंग आदेश होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपना प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी स्वयं के पक्ष में निहित होना प्रमाणित कर दिया था तदुपरान्त भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने में गम्भीर त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । जिसमें हम हस्तक्षेप करना

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उचित समझते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 अपास्त किया जाता है । मूल वाद का निर्णय होने तक उभयपक्षकारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जावर, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ की नई खतौनी संख्या 520 के खसरा नम्बर 395 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं करें और ना ही किसी से करावे, और ना ही उक्त आराजी को हस्तान्तरित करते हुए खुर्द बुर्द नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा